

अनुदान संख्या 11 - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

GRANT No. 11 - DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-			
पूरक	Supplementary	30,00	29,46	-54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	7048,00,00		
		7048,06,00	4357,57,54	-2690,48,46
पूरक	Supplementary	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2640,40,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1300,00,00		
		1598,43,00	1598,27,57	-15,43
पूरक	Supplementary	298,43,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	11436.00		
			17649.46	-461.99
पु.	R.	6213.46		
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	148805.00		
पू.	S.	2.00	52.58	-52.58
पु.	R.	-148754.42		
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	69268.00		
पू.	S.	1.00	60503.66	-1358.23
पु.	R.	-8765.34		
मुख्य शीर्ष “2885”	Major Head “2885”			
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	445509.00		
पू.	S.	2.00	331146.52	-2488.43
पु.	R.	- 114364.48		
मुख्य शीर्ष “3475”	Major Head “3475”			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	23166.00		
पू.	S.	1.00	24954.78	-412.47
पु.	R.	1787.78		

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹152506.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹152446.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” -

(क) “तकनीकी शिक्षा - अन्य व्यय - स्वायत्त शासी निकायों को परियोजना आधारित सहायता” - ₹1950.00 लाख;

(ख) “पिछड़े क्षेत्रों का विकास - राज सहायता” -

(i) “पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास” - ₹46797.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ii) “जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अवस्थित इकाईयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता” - ₹100000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “सामान्य - औद्योगिक संवर्धन - औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना” - ₹508.00 लाख - परियोजना पूरी नहीं होने के चलते अंतिम किश्त जारी नहीं होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष “2885” - “पिछड़े क्षेत्रों का विकास - राज सहायता - हिमाचल प्रदेश (एचपी) और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017” - ₹3191.00 लाख

(I) Provision of ₹152506.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹152446.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” -

(a) “Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies” - ₹1950.00 lakhs;

(b) “Development of Backward Areas - Subsidies” -

(i) “Industrial Development of Backward and Remote Area” - ₹46797.00 lakhs (including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs); and

(ii) “Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in the State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim” - ₹100000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “2852” - “General - Industrial Promotion - Industrial Infrastructure Upgradation Scheme” - ₹508.00 lakhs - due to non-release of final installment owing to non-completion of projects.

(C) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development Scheme for the States of Himachal Pradesh (HP) &

(₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – राज्य सरकारों द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण।

Uttrakhand, 2017” - ₹3191.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to non-submission of claims by the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Under Major Head “2852” - savings occurred under the following heads:-

(का) “उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – फुटवियर, चमड़ा और सामान विकास कार्यक्रम” – ₹8733.90 लाख की बचत (₹20800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 9 अनवरत साझा प्रवाह उपचार संयंत्र परियोजनायें पूरी नहीं होने के कारण हुई।

(A) “Consumer Industries - Leather - Footwear, Leather and Accessories Development Programme” - saving of ₹8733.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20800.00 lakhs) was due to non-completion of 9 ongoing Common Effluent Treatment Plant projects.

(खा) “सामान्य” –

(B) “General” -

(क) “शुल्क और मूल्य विनियमन – शुल्क कमीशन” – ₹633.50 लाख की बचत (₹792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शुल्क आयुक्त का कार्यालय स्थायी रूप से बंद होने के कारण हुई।

(a) “Tariff and Price Regulation - Tariff Commission” - saving of ₹633.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹792.00 lakhs) was due to permanent closer of office of the Tariff Commission.

(ख) “स्वायत्त शासी निकायों को सहायता – स्वायत्त शासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता” – ₹806.81 लाख की बचत (₹11728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आरेखन संस्थान की अवसंरचना के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कार्यान्वयनकर्ता अभिकर्ताओं से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Assistance to Autonomous Bodies - Project Based Support to Autonomous Institutions” - saving of ₹806.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11728.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for creation of infrastructure of National Institute of Designs and receipt of less proposals from implementing agencies.

(ग) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन” – ₹773.08 लाख की बचत (₹1487.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाइपलाइन परियोजनाओं का अनुमोदन मिलने में देरी होने और विनिमय दर में विचलन होने के कारण हुई।

(c) “International Co-operation - United Nations Industrial Development Organisations” - saving of ₹773.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1487.00 lakhs) was due to delay in approval of pipeline projects and exchange rate variation.

(III) मुख्य शीर्ष “2885” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head “2885” - savings occurred under the following heads:-

(का) “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – राज सहायता” –

(क) “जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017” – ₹10171.46 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक इकाईयों की उत्पादकता पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के चलते राजसहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का औद्योगिक विकास” – ₹10503.35 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के कार्यान्वयन जिम्मेदारियों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हाल में शिफ्ट करने के कारण जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा कम दावे प्रस्तुत करने के कारण हुई।

(खा) “औद्योगिक गलियारे – दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट एनआईसीडीआईटी)” – ₹139132.27 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹150001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विचाराधीन परियोजनाओं के लिए प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹49322.39 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य – औद्योगिक संवर्धन – मेक इन इंडिया” – ₹1888.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1334.63 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2885” – “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – राजसहायता – पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों का औद्योगिक

(A) “Development of Backward Areas - Subsidies” -

(a) “Industrial Development Scheme 2017 for UT of J&K and UT of Ladakh” - saving of ₹10171.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to receipt of less subsidy claims owing to COVID-19 pandemic impact on the productivity of industrial units.

(b) “Industrial Development of UT Government of Jammu & Kashmir” - saving of ₹10503.35 lakh (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to submission of less claims by UT Government of J&K owing to newly shifted responsibilities of implementation of scheme to UT Administration.

(B) “Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)” - saving of ₹139132.27 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹150001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) was due to non-receipt of approval from authorities for projects under consideration.

2.(I) The above savings were partly (₹49322.39 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2022 under the following major heads:-

(A) Major Head “2852” - “General - Industrial Promotion - Make in India” - ₹1888.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1334.63 lakhs.

(B) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development

विकास” – ₹45573.61 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹45559.59 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “3475” – “पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्को का विनियमन – बौद्धिक संपदा” – ₹1860.78 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1508.07 लाख हुआ।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई :-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग” – ₹5860.72 लाख का अधिक व्यय (₹10505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फार एप्लीकेशंस एंड जियो-इनफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) को पोर्टल के विकास, आपदा रिकवर/होस्टिंग चार्ज और क्षमता निर्माण और सटेलाइट इमेजरी के लिए भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2885” – “पिछड़े एत्रों का विकास – राजसहायता – जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में स्थित इकाईयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता” – ₹585.58 लाख का अधिक व्यय (₹263164.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुए :-

of Backward and Remote Area” - ₹45573.61 lakhs. Actual excess, however, was ₹45559.59 lakhs.

(C) Major Head “3475” - “Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property” - ₹1860.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹1508.07 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Department for Promotion of Industry and Internal Trade” - excess of ₹5860.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10505.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to Bhaskaracharya National Institute for Applications and Geo-Informatics (BISAG-N) for development of portals, disaster recover/hosting charges and capacity building and payment for Satellite imagery.

(B) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim” - excess of ₹585.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹263164.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following Major Heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1650.00	3343.00	3327.86	-15.14
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1692.00			
मुख्य शीर्ष "4875"	Major Head "4875"				
अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	128350.00	156500.00	156499.71	-0.29
पू.	S.	29842.00			
पु.	R.	-1692.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4875" - "अन्य उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में व्यय - स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)" - ₹14350.29 लाख की बचत (₹28350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की धीमी खपत और इंक्यूबेटर्स से नए और पुनः आवेदनों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4875" - "Other Industries - Investments in Public Sector and other Undertakings - Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)" - saving of ₹14350.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28350.00 lakhs) was due to slow consumption of funds and less number of fresh and re-applications from incubators.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14350.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹6245.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

4. The above savings were partly (₹14350.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹6245.00 lakhs in December, 2022 - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण– पेटेंट और ट्रेड मार्क महानियंत्रक का कार्यालय (आईडीसीजीपीडीटीएम) में अवसंरचना विकास” – ₹1692.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1676.86 लाख हुआ।

(A) Major Head “4059” - “Office Buildings - Construction - Infrastructure Development in Controller General of Patents and Trade Marks (IDCGPDTM)” - ₹1692.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1676.86 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “4875” – “अन्य उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – निधियों की निधि” – ₹12658.00 लाख।

(B) Major Head “4875” - “Other Industries - Investments in Public Sector and other undertakings - Fund of Funds” - ₹12658.00 lakhs.
